(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 599–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 29/2003–04/निगरानी.

1– अरविन्द (फोत) वारिसान
अ– तरूण पुत्र अरविन्द
ब– अभिषेक पुत्र अरविन्द
स– सविता पुत्री अरविन्द
द– हल्की पुत्री अरविन्द
समस्त नाबालिगान द्वारा सरपरस्त माता
शीला बाई विधवा अरविन्द
2– श्रीमती शीला बाई विधवा अरविन्द
3– गप्पालाल पुत्र नथुआ
4– श्रीमती रामरति बाई
5– श्रीराम पुत्र कृष्णा
6– प्रकाश पुत्र बंशी
7– श्रीमती हल्कीबाई
8– भैयालाल पुत्र चन्दनसिंह उर्फ धीरा
9– श्रीमती कपूरीबाई पत्नी भैयालाल
निवासीगण ग्राम खुजा
तहसील व जिला गुना .....आवेदकगण

विरूद्ध

हरीराम पुत्र नवल सिंह
निवासी ग्राम खुजा
तहसील व जिला गुना .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, गुना द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 14–4–02 को आदेश पारित कर ग्राम खुजा तहसील व जिला गुना स्थित भूमि का बंटन किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–9–03 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–2–06 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार किया गया एवं प्रकरण पुनः विधि अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उनकी जांच कर बंटन की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 3–5–2017 की पेशी पर आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का बंटन किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) तहसीलदार द्वारा जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी, वे भूमिहीन कृषक थे, इस तथ्य पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आवंटन निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) अनावेदक को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वह प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार नहीं है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रकिया का पालन किये प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा भूमिहीन कृषकों को भूमि आवंटित नहीं कर बड़े–बड़े कृषकों को भूमि आवंटित किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर एवं अनावेदक के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–3–2002 को प्रकरण दर्ज कर भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर अगली पेशी दिनांक 14–4–2002 नियत की गई है, परन्तु तहसीलदार द्वारा उसी दिन आवेदन पत्रों की जांच कर आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर दी गई है, जो कि पूर्णतः संदिग्ध कार्यवाही है, कारण एक ही दिन में इतने अधिक आवेदन पत्रों की सम्पूर्ण जांच करना संभव नहीं है । चूंकि उद्घोषणा में अगली पेशी दिनांक 14–4–2002 नियत की गई थी, तब उसके पहले आवंटन की कार्यवाही नहीं की सकती थी, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देने में विधि एवं न्याय की गम्भीर भूल है । इसके अतिरिक्त अनावेदक की ओर से प्रस्तुत खसरों से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के पास भूमि है, और वह भूमिहीन कृषक नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है कि पुनः विधि अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित कर उनकी जांच कर आवंटन की कार्यवाही की जाये, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–06 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश